दिनांक 03 सितम्बर 2026 को सम्मेलन कक्ष, आर्मज़डेल बिल्डिंग, फेज–।।। हि0 प्र0 सचिवालय शिमला माननीय मुख्य मन्त्री हि0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 13वीं बैठक में शामिल मदों की विभाग वार तालिका।

क0.सं0.	विभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	कार्मिक विभाग	**1-7**
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	**7-10**
3.	शिक्षा विभाग	**10-14**
4.	राजस्व विभाग	**14-15**
5.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	**15-18**
6.	लोक निर्माण विभाग	**18-19**
7.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	**19**
8.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	**19-20**
9.	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं, विकास निगम कांगडा, हि0 प्र0	**20-21**
10.	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	**21**
11.	जनगणना कार्य विभाग	**22**
12.	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	**22**

दिनांक 03 सितम्बर 2026 को सम्मेलन कक्ष, आर्मज़डेल बिल्डिंग, फेज –।।। हि0 प्र0 सचिवालय शिमला माननीय मुख्य मन्त्री हि0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 13वीं बैठक हेतु कार्यसूची।

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें:

1. केन्द्र सरकार की तर्ज पर हिमाचल सरकार भी हमें 27% आरक्षण प्रदान करे।

(श्री अनिल शर्मा, जिला सिरमौर)
(श्री हरीश धनोटिया, जिला कांगड़ा)
(श्री राम लाल शर्मा, संगडाह जिला सिरमौर)
(श्री संजीव दत्त शांडिल, डा0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर)
(श्री बालकृष्ण, गांव ओचा, तहसील धीरा जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के परिदृश्य में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में श्रेणी–। व श्रेणी –।। में 12 प्रतिशत तथा श्रेणी–।।। व श्रेणी–IV में 18 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।
हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 9वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 9,27,542 है जो कि कुल जनसंख्या का 15.27 प्रतिशत है। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा आरक्षण पर्याप्त है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी व्यवस्था दी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा 4 आनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportionate representation) के बजाय पर्याप्त प्रतिनिधित्व (adequate representation) अभिव्यक्त करती है। इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना संभव नहीं है।

(कार्मिक विभाग)

2. सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पद के लिए 18% समान आरक्षण।

(श्री पूरन चन्द, पुत्र श्री जोगराज जिला कांगड़ा)
(श्री ओंकार चन्द, पुत्र श्री धनी राम जिला कांगड़ा)
(श्री रविन्द्र कुमार, पुत्र श्री चंदू राम, जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उधम चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री संजय कुमार, पुत्र श्री स्वामी राम, जिला कांगड़ा)
(श्री बुधी सिंह, पुत्र श्री जगदीश चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उत्तम चन्द, जिला कांगड़ा)
(श्रीमति अमरी देवी, पत्नी श्री रमेश कुमार, जिला कांगड़ा)

3. मंडल आयोग व सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार **OBC** के लिए 27**%** आरक्षण सभी सरकारी व अर्धसरकारी सेवाओं में लागू किया जाए।

(श्री ओम प्रकाश, जिला ऊना)
(श्री पियारा लाल पुत्र श्री लछमन दास, जिला ऊना)
(श्री अजय कुमार, पुत्र श्री ज्ञान चन्द तहसील नगरोटा जिला कांगड़ा)

मद संख्या 02 व 03 का विभागीय उत्तर

वर्तमान मे अन्य पिछ़डा वर्ग को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में ग्रुप–A व ग्रुप–B में 12 प्रतिशत तथा ग्रुप–C व ग्रुप–D में 18 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 9वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 9,27,542 है जो कि कुल जनसंख्या का 15.27 प्रतिशत है। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा आरक्षण पर्याप्त है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम युनियन ऑफ इंडिया में भी व्यवस्था दी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा 4 आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportionate Representation) के बजाय पर्याप्त प्रतिनिधित्व (Adequate Representation) अभिव्यक्त करती है। इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना संभव नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान में इस वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण में फेरबदल करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(कार्मिक विभाग)

4. ओबीसी और एसटी समुदाय दोनों को मिलने वाले लाभ ओबीसी समुदाय को दिए जाने चाहिए।

(श्री अनिल शर्मा, जिला सिरमौर)
(श्री हरीश धनोटिया, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

सरकार ने वर्तमान में प्रचलित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ओबीसी और एसटी समुदायों को अलग–अलग आरक्षण प्रदान किया है। इसलिए ओबीसी और एसटी दोनों समुदायों को मिलने वाले लाभ केवल ओबीसी समुदाय को देना तर्कसंगत नहीं है।

(कार्मिक विभाग)

5. संवैधानिक एवं भर्ती आयोगों में ओबीसी सदस्यों के प्रतिनिधित्व को निम्न संस्थाओं में नियुक्ति/नामांकन पर विचार किया जाएः–

- हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग
- हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग
- निर्णयकारी निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

(श्री पूरन चन्द, पुत्र श्री जोगराज जिला कांगड़ा)
(श्री ओंकार चन्द, पुत्र श्री धनी राम जिला कांगड़ा)
(श्री रविन्द्र कुमार, पुत्र श्री चंदू राम, जिला कांगड़ा)
(श्री बुधी सिंह, पुत्र श्री जगदीश चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उधम चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री संजय कुमार, पुत्र श्री स्वामी राम, जिला कांगड़ा)
(श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री काली दास, जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उत्तम चन्द, जिला कांगड़ा)
(श्रीमति अमरी देवी, पत्नी श्री रमेश कुमार, जिला कांगड़ा)

6. हिमाचल प्रदेश सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में ओबीसी का प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

(श्री मदन लाल चौधरी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा)

मद संख्या 05 व 06 का विभागीय उत्तर

आयोग द्वारा अपने कर्मचारियों की भर्ती के संबध में समय–समय पर सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबधी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण रोस्टर के अनुसार निर्धारत उनके हिस्से के अनुरूप समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

(कार्मिक विभाग)

7. हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए, विशेषकर शिक्षा विभाग में, ओबीसी के लंबित पदों को भरना।

(श्री ओम प्रकाश, जिला ऊना)
(श्री पियारा लाल पुत्र श्री लछमन दास, जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार कार्यकारी पदों को समय–समय पर भर रही है जिसमें सभी आरक्षित वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है।

यद्यपि किसी विभाग विशेष में लम्बित पदों बारे वास्तविक स्थिति संबंधित विभाग से प्राप्त करना उचित होगा।

(कार्मिक विभाग)

8. नॉट फाउंड सुटेबल (**NFS**) खंड (**Clause**) का दुरुपयोग रोका जाएः नॉट फाउंड सुइटेबल खंड के नाम पर होने वाले भेदभाव को बंद किया जाए और इसके दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

(श्री ओम प्रकाश, जिला ऊना)
(श्री हरीश धनोटिया, जिला कांगड़ा)
(श्री पियारा लाल पुत्र श्री लछमन दास, जिला ऊना)
(श्री अजय कुमार, पुत्र श्री ज्ञान चन्द तहसील नगरोटा जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(कार्मिक विभाग)

9. ओबीसी छात्रों और उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं की फीस पूरी तरह माफ होनी चाहिए।

(श्री संजीव दत्त शांडिल, डा0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर)

विभागीय उत्तर

लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क मापदंड कार्मिक मामलों की पुस्तिका खंड – IV (संस्करण–2021) के नियम 20.9.2 में निहित निर्देशों के अनुसार अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों से कुल परीक्षा शुल्क का केवल एक चौथाई भाग लिया जाता है । राज्य चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क में, किसी भी वर्ग को छूट का प्रावधान नहीं है।

(कार्मिक विभाग)

10. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (**HPPSC**) जैसे भर्ती पैनलों में ओबीसी समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

(श्री ओम प्रकाश, जिला ऊना)
(श्री पियारा लाल पुत्र श्री लछमन दास, जिला ऊना)

11. हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी चयन आयोगों में **OBC** का प्रतिनिधित्व व साक्षात्कार समितियों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

(श्री स्वरुप कोली, पुत्र श्री जारु राम, जिला कांगड़ा)
(श्री अजय कुमार, पुत्र श्री ज्ञान चन्द तहसील नगरोटा जिला कांगड़ा)

मद संख्या 10 व 11 का विभागीय उत्तर

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण हेतु गठित पैनल का निर्धारण हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि संबधित सदस्यों की विषयगत विशेषज्ञता, शैक्षिणक उपलब्धियां एवं विश्वविद्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में उनके द्वारा निर्धारित पद के आधार पर किया जाता है। हालांकि यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चयन समितियों में समय–समय पर ओबीसी समुदाय को भी समुचित एवं विधिसम्मत प्रतिनिधित्व किया जाए।

(कार्मिक विभाग)

12. आरक्षण रोस्टर रजिस्टर के सही संधारण की समीक्षा। नियमित ऑडिट एवं जवाबदेही निर्धारण।

(श्री पुरन चन्द, पुत्र श्री जोगराज जिला कांगड़ा)
(श्री ओंकार चन्द, पुत्र श्री धनी राम जिला कांगड़ा)
(श्री रविन्द्र कुमार, पुत्र श्री चंदू राम, जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उधम चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री संजय कुमार, पुत्र श्री स्वामी राम, जिला कांगड़ा)
(श्री बुधी सिंह, पुत्र श्री जगदीश चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उत्तम चन्द, जिला कांगड़ा)
(श्रीमति अमरी देवी, पत्नी श्री रमेश कुमार, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

सरकारी सेवाओं में नियमित, अनुबंध/टैन्योर आधार पर (पूर्व में प्रचलित) सभी भर्तियां जो सीधी भर्ती के माध्यम से सम्बन्धित पद के भर्ती एवम् पदोन्नति नियमों में विहित प्रावधानानुसार होती है, में विभिन्न आरिक्षत श्रेणियों के उम्मीदवारों को उनके लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशतता अनुसार आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। अतः सभी सम्बन्धितों को भर्तियां, दिनांक 20.08.1998 व 11.06.2019, निर्देशानुसार रोस्टर लागू कर, करने को कहा गया है।

यद्यपि 45 दिनों से कम अवधि की अस्थाई नियुक्तियों, एकल पद एवम् आपातकाल से निपटने के लिए की गई नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने बारे कोई प्रावधान नहीं है। 03.12.2020 राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 03.12.2020 के माध्यम से सभी सम्बन्धितों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पदों पर भर्ती करते समय सभी आरक्षित वर्गों को उनके लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशतता को सुनिश्चित किया जाए।

(कार्मिक विभाग)

13. संपर्क (**liaison**) अधिकारियों की नियुक्ति सभी विभागों में ओबीसी आरक्षण क्रियान्वयन हेतु संपर्क अधिकारी नियुक्त करना। निगरानी दायित्व एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करना।

(श्री पूरन चन्द, पुत्र श्री जोगराज जिला कांगड़ा)
(श्री ओंकार चन्द, पुत्र श्री धनी राम जिला कांगड़ा)

(श्री रविन्द्र कुमार, पुत्र श्री चंदू राम, जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उधम चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उत्तम चन्द, जिला कांगड़ा)
(श्री संजय कुमार, पुत्र श्री स्वामी राम, जिला कांगड़ा)
(श्री बुधी सिंह, पुत्र श्री जगदीश चन्द जिला कांगड़ा)
(श्रीमति अमरी देवी, पत्नी श्री रमेश कुमार, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग 17–12–1973 के पत्र के माध्यम से संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए हैं, जिसे समय–समय पर दोहराया गया है। कार्मिक विभाग के पत्र संख्या PER (AP-III)-D(5)-1/90-Vol-V दिनांक 26–06–2012 द्वारा संपर्क अधिकारी के दायित्व विस्तृत रूप से उल्लेखित किए गए है, जिसके अनुसार, संपर्क अधिकारी अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों जाति, अनुसूचित द्वारा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित श्रेणियों के आरक्षण और उन्हें प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से संबंधित आदेशों और निर्देशों का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। इन निर्देशों को पत्र संख्या PER(AP)-C-E(3)-2.2021, दिनांक 28–06–2021 द्वारा दोहराया गया है।

(कार्मिक विभाग)

14. बैकलॉग रिक्तियों की पूर्ति ओबीसी वर्ग की लंबित/बैकलॉग रिक्तियों की विभागवार समीक्षा। विशेष भर्ती अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में प्रप्ति सुनिश्चित करना।

(श्री पूरन चन्द, पुत्र श्री जोगराज, जिला कांगड़ा)
(श्री ओंकार चन्द, पुत्र श्री धनी राम, जिला कांगड़ा)
(श्री रविन्द्र कुमार, पुत्र श्री चंदू राम, जिला कांगड़ा)
(श्री बुधी सिंह, पुत्र श्री जगदीश चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उधम चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री संजय कुमार, पुत्र श्री स्वामी राम, जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उत्तम चन्द, जिला कांगड़ा)
(श्रीमति अमरी देवी, पत्नी श्री रमेश कुमार, जिला कांगड़ा)
(श्री मदन लाल चौधरी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा)
(श्री अजय कुमार, पुत्र श्री ज्ञान चन्द तहसील नगरोटा जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

बैकलॉग (Backlog) पद वे पद हैं जो किसी आरक्षित वर्ग के लिए पूर्व के भर्ती वर्ष में आरक्षित किए गए थे परंतु उस वर्ग के पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण नहीं भरे जा सके थे।

इस वर्ग के बैकलॉग को भरने बारे निर्देश सभी सम्बन्धितों को दिनांक 09–09–2016 को जारी किए गए हैं। इन निर्देशों को दिनांक 27–09–2019 के निर्देशानुसार दोहराया भी गया है। यद्यपि किसी विभाग विशेष में लम्बित/बैकलॉग पदों बारे वास्तविक स्थिति संबंधित विभाग से प्राप्त करना उचित होगा।

यद्यपि राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार कार्यकारी पदों को समय–समय पर भर रही है जिसमें सभी आरक्षित वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है। (कार्मिक विभाग)

15. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला व हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में **OBC** वर्ग से सदस्यों का चयन हो ताकि **OBC** वर्ग के छात्रों के साथ कोई भेदभाव न सके।

(श्री श्याम धीमान, तहसील चुवाड़ी, जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद–316 के अंतर्गत की जाती है जिसमे वर्ग विशेष के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं है जिसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में भी वर्ग–विशेष के लिए प्रतिनिधित्व वांछित नहीं है।

(कार्मिक विभाग)

16. ओ0 बी0 सी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति के बराबर दर्जा दिया जाए।
(श्री श्याम धीमान, तहसील चुवाड़ी, जिला चम्बा)

17. ओ बी0 सी0 वर्ग को सभी विभागों में सरकारी नौकरियों मे बराबर दर्जा मिलें।
(श्री श्याम धीमान, तहसील चुवाड़ी, जिला चम्बा)

मद संख्या 16 व 17 का विभागीय उत्तर

इन मदों का स्वरूप एवं उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। यद्यपि सरकार ने वर्तमान में प्रचलित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ओबीसी और एस०सी० एस०टी० समुदायों को अलग–अलग आरक्षण प्रदान किया है। अतः इन मदों पर कार्मिक विभाग के स्तर पर टिप्पणी वांछित नहीं है।

(कार्मिक विभाग)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित मदें:–

18. हमारे इलाके में अधिकांश जनता गरीब, निर्धन है जो बीमार होने की स्थिति में अपने इलाज के लिए सरांहा (पच्छाद) अस्पताल पर निर्भर है सरांहा अस्पताल लगभग 30 पंचायतों की जनता के इलाज का मुख्य केंद्र बिन्दु है परन्तु अस्पताल में फिर भी डाक्टरों की कमी है जिनमें **B.M.O.** का पद काफी समय से खाली चल रहा है अस्पताल में डाक्टरों की कमी को पूरा किया जाना अति आवश्यक है। सराहां अस्पताल के अधीन **PSC** ग्लानाघाट में भी डाक्टर नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहता है क्यूंकि डाक्टर को अन्य अस्पताल में

प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है इसलिए **PSC** ग्लानाघाट में डाक्टर को नियमित रूप से नियुक्त किया जाए।

(श्री रमेशचन्द शर्मा, पच्छाद सरांहा जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरांहा नागरिक अस्पताल में खण्ड चिकित्सा अधिकारी (BM O) सितम्बर 2024 से नियमित रूप से भरा हुआ है, इसके अलावा जहाँ तक चिकित्सकों की कमी का प्रश्न है, इस संर्दभ में स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि वर्तमान समय में कुल 11 पद स्वीकृत है, जिनमें से 5 पद भरे हुए है तथा रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। सरांह नागरिक अस्पताल में यथासंभव स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गलानाघाट में चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से उपलब्ध है हालांकि चिकित्सा अधिकारी की प्रतिनियुक्ती महीने में 2 या 3 दिन के लिए नागरिक चिकित्सालय सराहां में किया जाता है।

(स्वास्थ्य सेवाएं विभाग)

19. मेडिकल कालेज ने जहां **IGMC** में मात्र 4 सीटें है और अन्य सस्थानों में 2–2 सीटें है, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल सस्थानों में कुल 660 सीटें है और ओ0 बी0 सी0 वर्ग के लिए मात्र 16 सीटें हैं, इन्हें बढाने पर विचार किया जाए।

(श्री हरीश धनोटिया, जिला कांगड़ा)

20. **Medical Colleges** में **OBC** वर्ग के छात्रों के लिए सिर्फ 2–2 सीट प्रत्येक संस्थान में दी गई है वो भी **OBC** वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय है उन्हें भी मण्डल आयोग की सिफारिशों के तहत 27% आरक्षण सहित लागू किया जाए।

(श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री काली दास, जिला कांगड़ा)

मद संख्या 19 व 20 का विभागीय उत्तर

It has been informed by the concerned department that currently in MBBS courses, fixed seats have been earmarked to OBC by the State Govt. in r/o of Govt. Medical Colleges of the State. The college-wise category-wise seat distributions of 85% State Quota MBBS seats in Govt. Medical Colleges of the State is finalized/approved by the State Govt. The constitutional reservation is applied for finalizing the reservation to SC, ST, Person with bench mark disabilities and Economically Weaker Section on total number of State Quota seats on percentage basis i.e. SC 15%, ST-7.5%, Person with bench mark disability = 5% and Economically Weaker Section 10%. For remaining category viz- a viz Other Back Ward Classes, Widow/ Wards of Ex-Servicemen, Wards / Wives of Defence Personnel, Ward of Freedom Fighter, Back Ward Area, Single girl Child, Children of J&K Migrants, Tibetan

Refugee and NRI etc., the fixed number of seat are earmarked / reserved (College wise). The reservation is not applicable in r/o these category on percentage basis of total number of available State Quota seats. It is submitted that the rational of providing reservation to these category in Government Medical Colleges of the State is the sole prerogative and discretion of the Government to what extent is to be provided to these category in MBBS/BDS course state Medical Colleges.

As per latest Govt. approval conveyed, vide letter No. HFW-B(B) 15-4/2017-1 dated 19.06.2018, the following number of seats have been earmarked to OBC in MBBS course in Govt. Medical Colleges of the State respectively

Name of College	Total Number of Seats	All India Quota	State Quota Seats	Seats earmarked to OBC for State Quota
Indira Gandhi Medical College, Shimla	100	15	85	4
Dr. R.P. Govt. Medical College, Kangra at Tanda	100	15	85	2
Dr. Y.S Parmar Govt. Medical College, Nahan	100	15	85	2
Sh. LalBhadurShastri Govt. Medical College Mandi at Ner Chowk	100	15+30 ESI Quota	55	2
Pt. Jawahar Lal Nehru Govt. Medical College Chamba	100	15	85	2
Dr. Radhakrishnan Govt. Medical College, Hamirpur	100	15	85	2
From the academic session 2019-20 onwards the annual intake is 120 seats in each government Medical College due to implementation of 10% EWS scheme. However, OBC seats is fixed as above.				

(स्वास्थ्य सेवाएं विभाग)

20. **Community Health Centre** भराड़ी ब्लाक घुमारवीं जिला बिलासपुर में एक **specialist** डाक्टर की नियुक्ति, सोलर पैनल हेतु फण्ड व लैब मे जरूरी मशीनरी उपलब्ध करवाने हेतु।

(श्री विजय कुमार पुत्र श्री रत्न लाल तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर)

विभागीय उत्तर

Specialist डाक्टर की नियुक्ति :– इस संदर्भ में यह प्रस्तुत है कि Community Health Centre भराड़ी ब्लाक घुमारवी जिला बिलासपुर में चिकित्सक अधिकारी के कुल 5 पद स्वीकृत है जिनमें से 4 पद भरे हुएं है। इसके अतिरिक्त उक्त चिकित्सा संस्थान में वर्तमान समय में कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी की उपलब्धता होने पर Community Health Centre भराड़ी ब्लाक घुमारवी जिला बिलासपुर में लगाने का प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

सोलर पैनल हेतु फण्ड :– प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने की प्रधानमंत्री सूर्या घर रू0 मुफ्त बिजली योजना के अतंर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में सोलर पैनल लगाने के संदर्भ में हिम ऊर्जा विभाग, हिमाचल प्रदेश को इस विभाग के प्रत्र संख्या HFW-H(11)3-10/2014(Misc. METP)/2026-II-16929 दिनांक 26.05.2026 द्वारा अवगत कराया गया था। जिसके विषय में उक्त विभाग द्वारा यह सुचित किया गया की प्रशासनिक कारणों से पुरानी फर्मों के टेंडर रद्द कर दिए गए है तथा एक नया टेंडर दिनांक 30.06.2026 में खोला गया था। वर्तमान समय में मामला प्रक्रियाधीन है। टेडर प्रकिया पुरी हो जाने के बाद आगमी कार्यवाही के विषय में स्वास्थ्य विभाग को बताया जाएगा।

लैब मे जरूरी मशीनरी :– भराडी ब्लाक घुमारवी जिला बिलासपुर में आधारभुत मशीनरी व सुविधाए उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त CBC(latest Heamatology Analyser), ECG Machine and Opthalmic Microsocpe को खरीदनें के लिए वित्तीय राशी उपलब्ध कराने हेतु उक्त ब्लाक द्वारा पत्र संख्या –HFW-BLP(Store)Med/2024-25 Vol-I-13287 दिनांक 23.07.2026 उपायुक्त बिलासपुर के साथ प्रत्राचार किया गया है।

(स्वास्थ्य सेवाएं विभाग)

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें:–

21. राजकीय माध्यमिक पाठशाला बोरली के भवन में अधिक बरसात होने के कारण सारे भवन में सीलन आ गई है भवन के पीछे सुरक्षा दीवार होना अति आवश्यक है **School Management Committee, Govt. Middle School** बौखली ने गुहार लगाई है कि प्राक्लन अनुसार उक्त सुरक्षा दीवार के लिए अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि **School Management Committee** कार्य को पूर्ण करवा सके।

22. राजकीय माध्यमिक पाठशाला बोरली,**Govt. Sr. Sec. School** संगडाह सिरमौर को हि०प्र० को अपग्रेड करके राजकीय उच्च पाठशाला करने की अनुकम्पा करें। उक्त पाठशाला में अभी 54 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं व आठ किलो मीटर के दायरे में इस पंचायत में कोई भी उच्च विद्यालय नहीं है।

(श्री राम लाल शर्मा, संगडाह जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

23. हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में पीएचडी, एम ए और एम एस सी में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

(श्री संजीव दत्त शांडील, डा0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

24. ग्राम पंचायत पंजोह, जिला ऊना के अंतर्गत **Play Ground at Govt. High School Panjoh** का निर्माण करवाए।

(श्री मोहिन्द्र कुमार, पुत्र श्री सोभिया राम जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

25. महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में ओ0बी0सी0 विद्यार्थियों हेतु पृथक छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव।

(श्री ओम प्रकाश, जिला ऊना)
(श्री पुरन चन्द, पुत्र श्री जोगराज जिला कांगड़ा)
(श्री रविन्द्र कुमार, पुत्र श्री चंदू राम जिला कांगड़ा)
(श्री पियारा लाल पुत्र श्री लछमन दास, जिला ऊना)
(श्री ओंकार चन्द, पुत्र श्री धनी राम जिला कांगड़ा)
(श्री बुधी सिंह, पुत्र श्री जगदीश चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उधम चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री संजय कुमार, पुत्र श्री स्वामी राम, जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उत्तम चन्द, जिला कांगड़ा)
(श्रीमति अमरी देवी, पत्नी श्री रमेश कुमार, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

26. **UGC** नियम 2026 को शीघ्र अति शीघ्र लागू किया जाए ताकि **OBC** वर्ग को उच्च शिक्षण. संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके ।

(श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री काली दास, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

27. **OBC** वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा सस्थानों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्रों की तरह शिक्षा शुल्क में रियायत प्रदान की जाए।

(श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री काली दास, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

28. हिमाचल प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 93वें संवैधानिक संशोधन (अनुच्छेद 15(5)) के पूर्ण क्रियान्वयन की समीक्षा तथा राज्य सरकार एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करना।

(श्री पुरन चन्द, पुत्र श्री जोगराज जिला कांगड़ा)
(श्री ओंकार चन्द, पुत्र श्री धनी राम जिला कांगड़ा)
(श्री रविन्द्र कुमार, पुत्र श्री चंदू राम, जिला कांगड़ा)
(श्री संजय कुमार, पुत्र श्री स्वामी राम, जिला कांगड़ा)
(श्री बुधी सिंह, पुत्र श्री जगदीश चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उधम चन्द जिला कांगड़ा)
(श्री निर्मल कुमार, पुत्र श्री उत्तम चन्द, जिला कांगड़ा)
(श्रीमति अमरी देवर, पत्नी श्री रमेश कुमार, जिला कांगड़ा)
(श्री अजय कुमार, पुत्र श्री ज्ञान चन्द तहसील नगरोटा जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

29. महोदय हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा जनसंख्या का हिस्सा तकरीबन 40% है परंतु हिमाचल प्रदेश में यह वर्ग ठगा सा महसूस कर रहा है समय के साथ–साथ हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं परंतु चयन बोर्ड में इन बच्चों के साथ अन्याय होता है। महोदय से प्रार्थना है कि हमारे वर्ग के उत्थान के लिए निम्न मांगों को शामिल किया जाए। ताकि यह वर्ग की मुख्य धारा में शामिल हो सकेः–

राज्य की शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भी 93 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005, जो 20 जनवरी 2006 से लागू हुआ है तथा जिसके अंतर्गत अन्य पिछडा वर्ग को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रभावी प्रावधान किया गया

है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18% आरक्षण लागू नहीं किया गया है जबकि देश के राज्यों में प्रवेश आरक्षण लागू हो चुका है। अतः महोदय से प्रार्थना है 27 % आरक्षण का पूर्ण कार्यान्वयनः उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 93वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए।

(श्री ओम प्रकाश, जिला ऊना)
(श्री संदीप कुमार, गांव खरठी, जिला कांगड़ा)
(श्री स्वरुप कोली, पुत्र श्री जारु राम, जिला कांगड़ा)
(श्री पियारा लाल पुत्र श्री लछमन दास, जिला ऊना)
(श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री काली दास, जिला कांगड़ा)
(श्री मदन लाल चौधरी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

30. Social discrimination in the implementation of reservation in admission to educational institutions - OBC Vs EWS.

- Clause (6) was added to Article 15 through the 103rd Constitutional Amendment Act, 2019, making special provision for the advancement of Economically Weaker Sections with respect to their admission in Government as well as private educational institutions. Date of effect
- The then Government of Himachal Pradesh implemented this law forthwith vide Dept of Higher Education letter No EDN-A-F(7)-5/2013-Loose dated 20th August 2020 gave effect from the academic session 2019-2020 itself. But the 93rd Constitutional Amendment Act, 2005 which came into effect from 20th January 2006 was not implemented by the Government of HP which is clearly a social discrimination between OBC and EWS.

(श्री स्वरुप कोली, पुत्र श्री जारु राम, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

31. Existing Partial OBC Reservation in Some Institutions.

- Higher Educational Institutions in the State such as Himachal Pradesh Technical University, B.Ed colleges, Nursing institutions, etc. are providing 18% reservation to OBCs in admissions.

- No reservation in admission to Other Backward Classes is available in the Himachal Pradesh University Shimla, Sardar Patel University Mandi, Chaudhary Sarvan Kumar Agriculture University Palampur, Dr YS Parmar University of Horticulture and Forestry Nauni and Atal Medical and Research University.

(श्री स्वरुप कोली, पुत्र श्री जारु राम, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

32. Need for Uniform State Education Policy.

- Department of Higher Education, Government of Himachal Pradesh is responsible as per their SOP No EDN-A-Ka(2)-2/2013 dated 21st August 2013 to implement OBC reservation in all higher educational institutions in Himachal Pradesh by issuing a Government Notification.
- Application of 18% reservation for OBCs in alignment with existing reservation policy of the State.

(श्री स्वरुप कोली, पुत्र श्री जारु राम, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदेः—

33. **O.B.C.** का प्रमाण पत्र जोकि मात्र एक साल के लिए बनाया जाता है उसकी अवधि लगभग 3 साल/5 साल/ **Life time** बढ़ाई जाए।

(श्री हरीश धनोटिया, जिला कांगड़ा)
(श्री राम लाल शर्मा, संगडाह जिला सिरमौर)
(श्री रमेशचन्द शर्मा, पच्छाद सरांहा जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

It has been informed by the Department that revision of the validity of OBC certificates is a mandate of the National Commission for Backward Classes (NCBC). The State Government have no role in making such revisions independently. The Revenue Department is only responsible for issuance of OBC

certificates for which notifications of the Department of Personnel and Training (DoPT), Government of India, is relied upon. (Copy of notification F.N0.12011/II /94-BCC(C) **is attached herewith annexure-A Page No- 23 to 26)**

(राजस्व विभाग)

34. ओबीसी के प्रमाण पत्र और फॉर्म हिमाचल प्रदेश राज्य और भारत सरकार दोनों के ई–जिला पोर्टल पर उपलब्ध होने चाहिए, ताकि इच्छुक उम्मीदवार इन्हें किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकें।

(श्री संजीव दत्त शांडिल, डा0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर)

विभागीय उत्तर

It is submitted that the Directorate has already taken up the matter with the Government vide this office letter No. Rev-(LR)-RMS (Meetings)-2024-338 dated 20th March, 2024, wherein it has been requested that the format of the certificates prescribed by the State Government may be aligned with the format required by the Central Government. Although both formats serve the same purpose, they differ in structure.

The matter is presently under consideration at the Government level and, if approved, will necessitate an amendment to the certificate format prescribed under Chapter 28 of the Himachal Pradesh Land Records Manual, 1992

(राजस्व विभाग)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मदेंः–

35. पंचायती राज के **O.B.C.** के लिए पंचायतों में भी जनसंख्या के आधार पर सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिए।

(श्री रमेशचन्द शर्मा, पच्छाद सरांहा जिला सिरमौर)

36. पंचायती राज में ओबीसी श्रेणी की जनगणना 2025 तक की जानी चाहिए ताकि उन्हें पंचायती राज चुनाव में रोस्टर के आधार पर आरक्षण मिल सके।

(श्री अनिल शर्मा, जिला सिरमौर)

37. पंचायत चुनाव/ शहरी निकाय चुनाव/ विधायक चुनाव मे भी दर्जा वर्ग के हिसाब से मिले।

(श्री श्याम धीमान, तहसील चुवाड़ी, जिला चम्बा)

35 व 37 तक की मदों के विभागीय उत्तर

इन मदों के सम्बन्ध में पंचायत निर्वाचन हेतु सदस्यों के पदों का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–8 व धारा–125 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.11.2010 **(प्रति संलग्न अनुबन्ध–ख पृष्ठ संख्या–27 से 31)** द्वारा अधिसूचित अनुसार आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।

(पंचायती राज विभाग)

38. ग्राम पंचायत पंजोह, जिला चम्बा के अंर्तगत (वार्ड न० 5– मल्ला) जो कि पूर्ण रूप से **OBC** आबादी है। इस वार्ड की कुल जनसंख्या 350 के लगभग है। इस वार्ड हेतु किसी भी प्रकार से कोई भी **Ambulance Road** की सुविधा नहीं है। इसलिए निवेदन है कि सुकरेई से **Govt. High School** तक **Ambulance Road** की सुविधा होना आवश्यक है।

39. ग्राम पंचायत चीलबंगला जिला चम्बा के अंर्तगत गाँव खलोड़ी से परोह तक **Ambulance Road** का निर्माण करवाए ।

40. ग्राम पंचायत सिंगी, जिला चम्बा के अंर्तगत सामुदायिक भवन दड़ोगा का निर्माण करवाए।

41. ग्राम पंचायत कोहलड़ी, व ग्राम पंचायत पंजोह, जिला चम्बा के अंतर्गत **Children Park** का निर्माण करवाए।

42. कोहलड़ी पंचायत, के अंतर्गत डुग से पध्धर तक **Ambulance Road** का निर्माण करवाए।

(श्री मोहिन्द्र कुमार, पुत्र श्री सोभिया राम जिला चम्बा)

38 से 42 तक की मदों के विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

43. ग्राम पंचायत कुम्हारका, जिला चम्बा के अंर्तगत सामुदायिक भवन पंझेला का निर्माण करवाएं।

44. एम्बुलेंस रोड़ टिकरबग कैंची से लेकर भेरनी तक, ग्राम पंचायत कुम्हाराका, जिला चम्बा।

45. पक्का पाथ टिकरबग कैंची से लेकर चेहलुई तक, ग्राम पंचायत कुम्हाराका, जिला चम्बा।

(श्री ईश्वर चन्द, जिला चम्बा)

43 से 45 तक की मदों के विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

46. बाड़ा दा घाट, मलोट रोड से कुठेडा गाँव के लिंक रोड़ की टायरिंग हेतु **3** लाख रुपये उपलब्ध करवाने बारे।

(श्री विजय कुमार पुत्र श्री रत्न लाल तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

47. आज दिन तक ओ0 बी0 सी0 वर्ग को वार्ड मेंम्बर से लेकर प्रधान, उपप्रधान, बी डी0 सी0, जिला परिषद व विधायक तक कोई भी वर्ग को कोटा ना मिला है। यह कोटा दिया जाए।

(श्री श्याम धीमान, तहसील चुवाड़ी, जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना दिनांक 17 अक्तूबर, 2000, 21 अक्तूबर 2000 व 17 नवम्बर 2000 के तहत प्रदान किया गया। (प्रति संलग्न अनुबन्ध–ग पृष्ठ संख्या 32 से 35)

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

48. मैं ग्राम पंचायत लिगा विकास खण्ड सलूणी के गांव लिगा से सम्बन्ध रखता हूँ विकास खण्ड सलूणी में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी ग्राम पंचायत सिंगाधार ब्याण और लिगा और जिला चम्बा में भी अन्य विकास खण्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है जिन्हें स्थानीय निकायों चुनाव में कोई आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला जो कि मिलना अनिवार्य है।

(श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री ज्ञान चन्द, जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 अक्तूबर, 2000 के कम संख्या–3 में प्रावधान है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रधान व ब्लॉक समिति सदस्य पद के लिए आरक्षण सम्बन्धित ब्लॉक में अन्य पिछड़ा वर्ग जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार दिया जाएगा व कम संख्या 8 में प्रावधान है कि ऐसे खण्ड में जहां अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 5% से कम हो वहां अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। विकास खण्ड सलूणी में अन्य

पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 5% से कम है। जिसके दृष्टिगतः विकास खण्ड सलूणी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाना सम्भव नहीं।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

49. पंचायत लिगा में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी आज की तिथि में लगभग 6 % से ऊपर है जबकि इस वर्ष पंचायती चुनाव में 2011 की जनगणना के ऊपर रोस्टर लागू किया गया, जिससे अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के लोगों में रोष है।

(श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री ज्ञान चन्द, जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 अक्तूबर, 2000 के क्रम संख्या–3 में प्रावधान है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रधान व ब्लॉक समिति सदस्य पद के लिए आरक्षण सम्बन्धित ब्लॉक में अन्य पिछड़ा वर्ग जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार दिया जाएगा व क्रम संख्या– 8 में प्रावधान है कि ऐसे खण्ड में जहां अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 5% से कम हो वहां अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। विकास खण्ड सलूणी में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 5 % से कम है। जिसके दृष्टिगतः विकास खण्ड सलूणी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाना सम्भव नहीं।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

50. पनेला मेन रोड से लेकर घाण तक एम्बुलेंस रोड तथा 61 पक्का पाथ घाण मेन रोड से लेकर हेतु शमशान घाट तक।

(श्री पुष्प राज, तहसील व जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें:–

51. हमारे इलाके में सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है जोकि पिछले कई वर्षों से जस की तस बनी हुई है अतः प्राथमिकता के आधार पर सड़कों को ठीक किया जाए।

(श्री रमेशचन्द शर्मा, पच्छाद सरांहा जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग)

52. लोगों के आने जाने की सहूलियत के लिए गांव घनारी बूथ नं0–48, जिसमें लगभग 900 वोट हैं व सभी ओबीसी वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, उन के लिए लिंक रोड़ तो है पर उसकी हालत न होने के बराबर ही है इसकी तुरंत मुरम्मत की जाए ।

(श्री ओम प्रकाश, जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग)

खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित मदें:–

53. व्यावसायिक अवसरों में आरक्षणः पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी आबंटन में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

(श्री ओम प्रकाश, जिला ऊना)
(श्री पियारा लाल पुत्र श्री लछमन दास, जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

The department does not allot petrol pumps and LPG agencies. Therefore the matter had been taken up with the State Level Coordinator, IOCL, HP Shimla. The State Level Coordinator, IOCL has intimated that as per current provision of PSU Oil Marketing Companies in vogue, the total reservations in allotment of retail outlets and LPG distributorships for OBC category is 27% in all states except Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland and Mizoram.

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मदें :–

54. क्रीमीलेयर को खत्म किया जाये ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग की सभी जाति का ओ0 बी0 सी0 प्रमाण पत्र बन सके।

(श्री बालकृष्ण, गावं ओचा, तहसील धीरा जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि प्रदेश मे अन्य पिछड़ा वर्ग के जरूरतमन्द व वंचित वर्ग को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश उपरान्त क्रीमीलेयर को लागू किया गया है। अतः क्रीमीलेयर को खत्म करना प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नही है। यद्यपि सरकार द्वारा क्रीमीलेयर हेतु निर्धारित आय सीमा में समय–समय पर संशोधन किया जाता है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगडा, हि0 प्र0 से संबंधित मदें :–

55. 2024–25 से पहले शिक्षा ऋण लड़कियों के लिए 3.5% और लड़कों के लिए 4% था जिसको बढ़ाकर 8% कर दिया है इसे दोबारा से लड़कियों के लिए 3.5% और लड़कों के लिए 4% किया जाना चाहिए जो कि ओ0 बी0 सी0 वर्ग से संबंध रखते हो।

(श्री हरीश धनोटिया, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

हां यह सत्य है कि पहले शिक्षा ऋण लड़कियों के लिए 3.5% और लड़कों के लिए 4% था, जिसको वित्तीय वर्ष 2024–25 से बढ़ाकर 8% कर दिया है। ऋण पर ब्याज की दरें समय–समय पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि, पिछड़ा वर्ग समुदाय की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को भविष्य में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से भारत सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।

(हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगडा)

56. ओबीसी समुदाय के लिए ऋण सीमा बढ़ाई जाए और कल्याणकारी योजनाओं तक पूर्ण लाभ सुनिश्चित हो।

(श्री ओम प्रकाश, जिला ऊना)
(श्री पियारा लाल पुत्र श्री लछमन दास, जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

यह निगम पिछड़ा वर्ग से संबधित पात्र व्यक्तियों, जिसकी आयु 18 से 55 वर्ष हो, सभी संसाधनों से सालाना आय 5 लाख से कम हो और वह हिमाचल का स्थायी निवासी हो, को स्वरोजगार हेतु 25 लाख तक का ऋण देता है। इसके अतिरिक्त यह बताना भी उचित रहेगा कि ऋण सीमा भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली

द्वारा ही तय की जाती है, और यह ऋण सीमा दिनांक 01.04.2025 में 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है।

(हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगडा)

57. मिटटी के बर्तन पकाने के लिए भटठी का निर्माण।

(श्री पुष्प राज, तहसील व जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी समस्त साधानों के पारिवारिक आय 5 लाख प्रति वर्ष से कम हो तथा प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष हो, को मिटटी के बर्तन पकाने के लिए भटठी का निर्माण करने या अन्य किसी भी प्रकार के स्वरोजगार हेतू आवश्यकता अनुसार (On Need Based) सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है।

(हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगडा)

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित मदें :—

58. अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत पंचायत में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए ताकि उनके जीवन में सुधार हो सके जैसे कि अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को सरकार द्वारा दिया जाता है।

(श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री ज्ञान चन्द, जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

अन्य पिछड़ा आयोग के तहत पंचायत में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ का मामला आयोग के अधिकार क्षेत्र मे नहीं आता है। आयोग का कार्य सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में किसी भी वर्ग के नागरिकों को शामिल करने के अनुरोधो की जांच करना है और राज्य सरकार को इस तरह की सूचियों के लिए किसी भी वर्ग को पिछड़ा वर्ग मे शामिल किए जाने या न किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करना है।

(राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग)

जनगणना कार्य विभाग से सम्बन्धित मदें :–

59. **OBC** वर्ग की जनगणना की जाए ताकि सही आंकड़े सामने आ सके।

(श्री अजय कुमार, पुत्र श्री ज्ञान चन्द, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(जनगणना कार्य विभाग)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से सम्बन्धित मदें:–

60. हमारे इलाके में लगभग 40 किलोमीटर के अन्दर बैंक की कोई भी शाखा नहीं है और न ही **A.T.M.** की सुविधा है जिसके कारण लोगों को अपनी दैनिक जरूरत के पैसों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

(श्री रमेशचन्द शर्मा, पच्छाद, सरांहा जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

****